

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार लूणी )</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 50 /2019</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>15.05.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण राठौड़ निवासी 79, हनुवन्त बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.02.2019 में उसके द्वारा (1) गांव झंवर तहसील लूणी के ख.नं. 1313, 1318, 1319, 1320, 1321, 2122, 1323, 1340, 1311, 1339, 33, 57, 58, 59, 60, 284 व अन्य की संवत् 2008 की गिरदावरी, पर्चा लगान, पर्चा खतौनी से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार, लूणी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( तहसीलदार लूणी ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	